समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला भू–अर्जन शाखा)
E-Mail- goddadlao@gmail.com

अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा के 1600MW ताप विद्युत परियोजना हेतु रेलवे लाईन साईडिंग निर्माण का सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन का संक्षिप्त विवरण

(1) **अधियाची निकाय एवं प्रस्तावित परियोजना का नाम** – अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा एवं 1600MW ताप विद्युत परियोजना हेतु रेलवे लाईन साईडिंग निर्माण।

सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन का अध्ययन दिनांक– 05.05.2018 से दिनांक– 29.05.2018 के बीच श्री बैधनाथ फाउण्डेशन, देवघर के द्वारा कर समर्पित किया गया है। सामाजिक अध्ययन एवं उपलब्ध सामाजिक आर्थिक ऑकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा– 04 के आलोक में सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन का कार्य किया गया है।

(2) <u>परिचय</u>

मेसर्स अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, झारखंड, गोड्डा को जिला अंतर्गत अंचल– गोड्डा के ग्राम– मोतिया, रकवा– 174.84 एकड़, ग्राम– पटवा, रकवा– 4.31 एकड़, ग्राम– गंगटागोविन्दपुर, रकवा– 171.48 एकड़ का दखल देहानी भू–अर्जन के उपरांत दिया जा चुका है। अंचल– पोड़ैयाहाट अंतर्गत ग्राम– माली, रकवा– 166.40 एकड़ के भू–अर्जन की कार्रवाई अंतिम चरण में है। अंचल पोड़ैयाहाट अंतर्गत ग्राम– सोनडीहा, रकवा– 168.17 एकड़ एवं ग्राम– गायघाट, रकवा– 229.65 एकड़ के भू–अर्जन की कार्रवाई भी चल रही है।

The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा– 08 अंतर्गत अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा के 1600MW ताप विद्युत परियोजना लोक प्रयोजन घोषित किया गया है।

परियोजना हेतु कोयला एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति हेतु रेलवे साईडिंग निर्माण किया जाना आवश्यक है। इससे सुविधा पूर्वक कोयला एवं अन्य सामग्रियों के आपूर्ति किया जा सकेगा। रेलवे साईडिंग निर्माण परियोजना से कुल– 08 गॉवों में रकवा– 93.161 एकड़ रैयती भूमि की आवश्यकता है, जिससे नियामानुसार उचित मुआवजा के साथ भू–अधिग्रहण किया जायेगा।

प्रस्तावित परियोजना रैखीय परियोजना है।

(3) अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण :–

क्र0	अंचल का नाम	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	थाना नं0	अधियाचित रकवा (एकड़)
1	2	3	4	5	6
1	गोड्डा	मोतिया	कारीकादो	307	9.181
2			नयावाद	308	5.715
3		पैरडीह	कौड़ीबहियारमाल छिंट	508	10.304
4			कौड़ीबहियारघाट	509	20.153
5			कौड़ीबहियारमाल	510	19.005
6			गोढ़ीघाट	513	3.889
7			कानाडीह	512-514	1.371
8	पोड़ैयाहाट	देबन्धा	गुम्मा	30	23.543
				कुल अधियाचित रकवा–	93.161

(4) अधिग्रहित किये जाने वाले भूमि से प्रभावित जन संख्या/संरचना/वृक्ष का विवरण :–

क्र0	ग्राम संख्या	रैयती भूमि का रकवा	परिवार के मुख्यि	मकान की संख्या	वृक्ष की संख्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल प्रभावित सदस्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	08	93.161	1018	0	0	292	67	705	398	1462

(5) संभावित प्रभाव –

सकारात्मक प्रभाव :– प्रस्तावित परियोजना के स्थापना से इस क्षेत्र के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जैसे– रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होगें एवं आस–पास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी आर्थिक विकास हो सकेगा।

नकारात्मक प्रभाव :– परियोजना के स्थापना से नकारत्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, जिसमें भूमि की नुकसान, आजीविका के नुकसान, सार्वजनिक संरचनाओं का क्षय एवं आम संपत्ति संसाधनों की कमी शामिल है।

(6) आधारभूत सामाजिक आर्थिक अध्ययन –

सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण क्षेत्र अंतर्गत भूमि खोने वाले प्रभावित परिवारों के लिए किया गया है।

सर्वेक्षण करने वाली टीम ने परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता न्यूनतम कर अधिग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है।

(7) **बाजार मूल्य** –

प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक– 136/रा0 दिनांक– 13.07.2016 के द्वारा गोड्डा जिला अंतर्गत अविक्रयशील कृषि भूमि के मूल्य का निर्धारण दो वर्षो के लिए किया गया था, जो निम्नप्रकार है :–

धानी– I का मूल्य –	1227600	रूपये प्रति एकड़
धानी– II का मूल्य –	920700	रूपये प्रति एकड़
धानी– III एवं बाड़ी II का मूल्य –	613800	रूपये प्रति एकड़
बाड़ी– I का मूल्य –	767250	रूपये प्रति एकड़
आवासीय भूमि का मूल्य –	1227600	रूपये प्रति एकड़
अन्य किस्म के भूमि का मूल्य –	613800	रूपये प्रति एकड

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची के पत्र ज्ञापांक– 138/नि0रा0 दिनांक– 14.03.2018 के आलोक में विगत वर्ष के लिए दर निर्धारण की कार्रवाई किया जा रहा है।

(8) **भूमि का मुआवजा/पुर्नवास एवं पुर्नव्यस्थापन निम्न विवरण के अनुसार किया जायेगा** –

क्रमांक	प्रभाव की श्रेणी	भू–मुआवजा और पुर्नवास एवं पुर्नव्यस्थापन लाभ
1	भू–मुआवजा	भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 के प्रथम अनुसूची के अनुसार
2	विस्थापित परिवार	विस्थापित परिवार शून्य है।
3	आजीविका सहायता (रैयतों के लिए)	रेलवे साईडिंग निर्माण परियोजना द्वारा नौकरी का सृजन नहीं हो रहा है।
4	एक बार पुनवार्स/पुनर्निवेशन भत्ता (रैयतों के लिए)	अधिग्रहण के पश्चात प्रति परिवार रूपये 50000.00 (पचास हजार)

परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के आंशिक भूमि का अधिग्रहण होगा, जिससे आय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। परियोजना से लोगो के आय के साधन में वृद्धि होगी।

12/6/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक :...622.... /भूअ0   दिनांक :...13.06.2018....

प्रतिलिपि– 1. अंचल अधिकारी, गोड्डा/पोड़ैयाहाट को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रभावित क्षेत्रों में आम सूचना को प्रदर्शित/चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा/पोड़ैयाहाट को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को संबंधित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को नाम/पदनाम के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं प्राप्ति रसीद जिला भू–अर्जन कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

3. जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को दो दैनिक समाचार पत्रों के क्षेत्रीय संस्करण में सुस्पष्ट प्रकाशित कराते हुए प्रकाशित पत्र की पेपर कटिंग जिला भू–अर्जन शाखा, गोड्डा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

5. अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/अपर समाहर्त्ता, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि आम सूचना को अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रदर्शित/चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

6. वरीय उपाध्यक्ष, अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

12/6/18

उपायुक्त,
गोड्डा।